उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,
संख्या-89/2020/1271/92-2-20-111जांच/2016
लखनऊ :: दिनांक:: 14 जुलाई 2020

कार्यालय-ज्ञाप

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद द्वारा डॉ0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 जॉच आख्या दिनांक 10-07-2018 में परिलक्षित शासकीय क्षति/अनियमितताओं हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-127/2018/2220/92-2-18-111जांच/2018 दि0 23-08-2018 द्वारा हेतु श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये जांच के सम्पादनार्थ अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-अयोध्या (फैजाबाद) को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता,परि0-अयोध्या के पत्र सं0-2151 /ग्रा0 अ0वि0/जांच-अधि0अभि0/ पत्रा0सं0-05/19-20 दि0 07-09-2019 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित कुल 07 आरोपों में से आरोप सं0-1, 3, 4 व 5 आंशिक रूप से तथा आरोप सं0-2, 6 व 7 पूर्णरूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्रसं0-2088/92-2-19-111जांच/16 दि0 26-09-19 द्वारा श्री हसनैन अहमद से अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-780/ दि0 30-12-2019 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति की वसूली के संबंध में निदेशक एवं मुख्य अभियंता के पत्र सं0-जी-22/ग्रा0अ0वि0/स्था0-1/अनु0कार्य0-873/20-21 दि0 28-05-2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री हसनैन अहमद के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 4,143.00 राजकोष में जमा हो चुकी है।

2- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या एवं अन्य संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति के राजकोष में जमा हो जाने एवं अपचारी अधिकारी के अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दि0 31-01-2020 को सेवानिवृत्त हो जाने के दृष्टिगत उन्हें किसी प्रकार का प्रशासकीय दण्ड दिये जाने का अवसर न रह जाने के कारण शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 23-08-2018 द्वारा श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना किसी दण्ड के समाप्त किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-89/2020/1271(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2- श्री हसनैन अहमद, तत्का0 अधि0अभि0, ग्रा0अभि0वि0, प्रखण्ड-फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in